बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–49 / 2026 / पटना, दिनांक –

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–3720 दिनांक–29.09.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमति प्रियंका पटेल (जे0 11190), कनीय अभियंता (असै0), दुर्गावती बाँध प्रमंडल–01, भीतरीबाँध के स्वयं के चिकित्सा हेतु दिनांक–24.05.2026 से 07.06.2026 (कुल 15 दिन) को बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 230 एवं 248(क) के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–3720 दिनांक–29.09.2026 के क्रम में / कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–01, भीतरीबाँध / श्रीमति प्रियंका पटेल (जे0 11190), कनीय अभियंता (असै0), दुर्गावती बाँध प्रमंडल–01, भीतरीबाँध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 6279 पटना / दिनांक – 30/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M.Q.A.S 28/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।